संख्या-225/2016/816/22-2-2016-17(208)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 04 नवम्बर, 2016**

विषय:- जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध बन्दी राजपाल पुत्र श्री रामलाल निवासी जनपद- शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-7(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजपाल पुत्र श्री रामलाल निवासी निवासी ग्राम-बथुई अक्का, थाना-तिलहर जनपद- शाहजहांपुर का निवासी है। बन्दी ने प्रेमपाल से होली मिलने को कहा मना करने पर दिनांक 29-03-2002 को रात्रि लगभग 09:00 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दी प्रेमपाल पर बांका से हमला किया। उससे बचने के लिए बायां हाथ आगे किया जिससे बांया हाथ कट गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-2100/2004 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-326/109 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 30-09-2008 को 07 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सख्या-6 शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 30-10-2012 को 05 वर्ष के सश्रम के कारावास में परिवर्तित कर दिया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 31-08-2015 तक 03 वर्ष 05 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 04 वर्ष 02 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त सजा पूर्ण कर कारागार से रिहा किया जा चुका है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी की आयु लगभग 34 वर्ष है जो बन्दी द्वारा पुन: अपराध कारित करने का अवसर है, बन्दी पुन: अपराध करने में शारीरिक रूप से अशक्त प्रतीत नहीं होता है, तथा बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थन प्रयोजन होने के आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राजपाल पुत्र श्री रामलाल निवासी जनपद- शाहजहांपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजपाल(बन्दी संख्या-2356/12) पुत्र श्री रामलाल निवासी जनपद- शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-225/2016/816(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहांपुर।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-225/2016/816/22-2-2016-17(208)/2016

दिनांक 04 नवम्बर ,2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध बन्दी बन्दी राजपाल(बन्दी संख्या-2356/12) पुत्र श्री रामलाल निवासी निवासी ग्राम-बथुई अक्का, थाना-तिलहर जनपद- शाहजहांपुर का निवासी है। बन्दी ने प्रेमपाल से होली मिलने को कहा मना करने पर दिनांक 29;03;2002 को रात्रि लगभग 09:00 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दी प्रेमपाल पर बांका से हमला किया। उससे बचने के लिए बायां हाथ आगे किया जिससे बांया हाथ कट गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-2100/2004 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-326/109 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 30-09-2008 को 07 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सख्या-6 शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 30-10-2012 को 05 वर्ष के सश्रम के कारावास में परिवर्तित कर दिया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 31-08-2015 तक 03 वर्ष 05 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 04 वर्ष 02 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त सजा पूर्ण कर कारागार से रिहा किया जा चुका है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी की आयु लगभग 34 वर्ष है जो बन्दी द्वारा पुन: अपराध कारित करने का अवसर है, बन्दी पुन: अपराध करने में शारीरिक रूप से अशक्त प्रतीत नहीं होता है, तथा बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थन प्रयोजन होने के आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजपाल पुत्र श्री रामलाल निवासी जनपद- शाहजहांपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।